(b) how many similar arrests have been made and persons asked to report to the police station daily in Purnea district of Bihar where a large number of intruders are reported to be not only staying unlawfully but also have acquired property and voting rights as well?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Government have seen the news report.

(b) State Governments and local police have powers to take action against foreigners for violation of the Foreigners Act, 1946. No figures of such action taken by State Governments are available.

मदन सूत इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हस्तिनापुर का बन्द किया जाना

2293. **श्री सूरज प्रसाद :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मदन सूत इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हस्तिनापुर मेरठ, उत्तर प्रदेश जिसमें लगभग 1500 कर्मचारी कार्य करते थे, पिछले छः महीनों से बंद पड़ी है और अब मजदूरों तथा उनके परिवार के सदस्यों के समक्ष भूखों मरने की समस्या उत्पन्न हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मिल को बंद कर दिये जाने के क्या कारण हैं और सरकार उसे चालू करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मै० मदन इंडस्ट्रीज लि०, हस्तिनापुर 8.8.84 से बंद पडी हुई है जिसके परिणामस्वरूप 1,017 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं ;

(ख) एकक इस लिये बंद हो गया क्योंकि इसमें निरंतर नकद हानियां हो रही थीं जिसके कारण इसकी नकदी स्थिति अत्यधिक कम होने लगी थी। इसके फलस्वरूप मिल कंपनी कपास खरीदने और अपने बिजली के बिल आदि अदा करने में असमर्थ थी।

सरकार ने रुग्ण वस्त्र मिलों की जांच करने के लिये एक नौडीय अभिकरण स्थापित किया हैं ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि वे संभाव्य रूप से अर्थक्षम है या नहीं। नौडीय अभिकरण संभाव्य रूप से अर्थक्षम मिलों के संबंध में पुनर्स्थापन पैकेज बनाता है तथा उनका प्रबंध करता है। इसके द्वारा गैर अर्थक्षम पायी गयी मिलों को स्थानीय से रूप बंद होना पड़ सकता है। 6 जून, 1985 को या उसके बाद स्थायीरूप से बंद होने वाली गैर अर्थक्षम मिलों के कामगार वस्त्र श्रमिक पुनर्वास निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता पाने के पात्र होंगे। नौडीय अभिकरण इस नतीजे पर पहुंचा हैं कि मै० मदन इन्डस्ट्रीज लि०, हस्तिनापुर गैर अर्थक्षम है।

पंजाब में उग्रवादी गतिविधियों के लिये दोषी पाये गये व्यक्ति

2294. **श्री सत्यपाल मलिक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान पंजाब में हत्याओं के कितने मामले हुए तथा उनमें से कितने मामलो में हत्यारों को गिरफ्तार किया गया; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) पंजाब सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1985 तथा 1986 वर्षों के दौरान राज्य में उग्रवादियों, आतंकवादियों द्वारा की गई हत्याओं के 341 मामले दर्ज किये गये। 186 मामलों में दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।